बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.03.2024 को अपराह्न 12:30 बजे की कार्यवाही एवं सदस्यों की ऑन लाइन/ऑफ लाइन उपस्थिति–

			हस्ताक्षर
1.	प्रो0 मुकेश पाण्डेय	कुलपति/अध्यक्ष	
2.	प्रोफेसर प्रेम प्रकाश सोलंकी	कुलाधिपति नामित सदस्य	
3.	सुश्री सुमन सिंह	कुलाधिपति नामित सदस्य	
4.	श्री समीर बेन्द्रे	कुलाधिपति नामित सदस्य	
5.	प्रो0 एम0 एम0 सिंह	संकायाध्यक्ष–अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी/सदस्य	
6.	प्रो0 एन0एस0सेंगर	सकायाध्यक्ष–चिकित्सा संकाय/सदस्य	
7.	प्रो0 अवनीश कुमार	आचार्य/सदस्य	
8.	प्रो0 एम0 एम0 सिंह	आचार्य/सदस्य	
9.	प्रो0 आलोक वर्मा	आचार्य/सदस्य	
10.	डा0 संजय निभोरिया,	सह आचार्य/सदस्य	
11.	डा0 रितु सिंह,	सहआचार्य/सदस्य	Online
12.	डा0 शम्भू नाथ सिंह	सहआचार्य/सदस्य	11.03.24
13.	श्री नवीन चंद पटेल	सहायक आचार्य/सदस्य	
14.	प्रो0 अलका नायक	प्राचार्य/सदस्य	Online
15.	प्रो0 राकेश नारायण द्विवेदी	प्राचार्य/सदस्य	Online
16.	प्रो0 सूर्य नारायण	प्राचार्य/सदस्य	
17.	डा0 पूरन प्रकाश पुरवार	प्राध्यापक/सदस्य	
18.	डा0अभिलाष श्रीवास्तव	प्राध्यापक/सदस्य	
19.	श्री वसी मोहम्मद	वित्त अधिकारी	
20.	श्री विनय कुमार सिंह	कुलसचिव/सचिव.	

Scanned with OKEN Scanner

(103)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

कार्य परिषद् की बैठक 10/2024 दिनांक 11.03.2024 की कार्यवाही–

उपस्थिति–

1.	प्रो0 मुकेश पाण्डेय	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर प्रेम प्रकाश सोलंकी	कुलाधिपति नामित सदस्य
3.	प्रो0 एम0 एम0 सिंह	संकायाध्यक्ष–अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी/सदस्य
4.	प्रो0 एन0एस0सेंगर	सकायाध्यक्ष–चिकित्सा संकाय/सदस्य
5.	प्रो0 अवनीश कुमार	आचार्य/सदस्य
6.	प्रो0 एम0 एम0 सिंह	आचार्य/सदस्य
7.	प्रो0 आलोक वर्मा	आचार्य/सदस्य
8.	डा0 संजय निभोरिया,	सह आचार्य/सदस्य
9.	डा0 रितु सिंह,	सहआचार्य/सदस्य/**ऑनलाइन**
10.	डा0 शम्भू नाथ सिंह	सहआचार्य/सदस्य
11.	श्री नवीन चंद पटेल	सहायक आचार्य/सदस्य
12.	डा0 अलका नायक	प्राचार्य/सदस्य /**ऑनलाइन**
13.	डा0 राकेश नारायण द्विवेदी	प्राचार्य/सदस्य /**ऑनलाइन**
14.	डा0 पूरन प्रकाश पुरवार	प्राध्यापक/सदस्य
15.	श्री वसी मोहम्मद	वित्त अधिकारी
16.	श्री विनय कुमार सिंह	कुलसचिव/सचिव.

कार्यवाही –

01. कार्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 24.02.2024 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

परिषद् द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 24.02.2024 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की।

02. वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.03.2024 को आहूत वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.03.2024 का अनुमोदन किया गया।

03. दिनांक 28.02.2024 को गणितीय विज्ञान एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग विभाग में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत रिक्त सहायक सहायक आचार्य के पदों (OBC-04, EWS-01) पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत चयन हेतु आहूत चयन समिति के समक्ष हुये साक्षात्कार के उपरान्त समिति द्वारा दी गई संस्तुति का बन्द लिफाफा परिषद् के समक्ष खोले जाने पर विचार।

[signature] 11/3/24 [signature] 11.03.24

Scanned with OKEN Scanner

(104)

परिषद् को अवगत कराया गया कि दिनांक 28.02.2024 को गणितीय विज्ञान एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग विभाग में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत रिक्त सहायक सहायक आचार्य के पदों (OBC-04, EWS-01) पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत चयन हेतु आहूत चयन समिति के समक्ष हुये साक्षात्कार के उपरान्त समिति द्वारा दी गई संस्तुति का बन्द लिफाफा खोला जाना अपरिहार्य कारण से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से उक्त का अनुमोदन किया गया।

04. दिनांक 01.03.2024, 02.03.2024, 03.03.2024 एवं 04.03.2024 को स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित शिक्षा संस्थान + आई.टी.ई.पी. विभाग में रिक्त आचार्य (UR-01), सह– आचार्य (UR-01, OBC-02) एवं सहायक आचार्य के पद (UR-08, OBC-07, SC-04, EWS-02) पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत चयन हेतु आहूत चयन समिति के समक्ष हुये साक्षात्कार के उपरान्त समिति द्वारा दी गई संस्तुति का बन्द लिफाफा परिषद् के समक्ष खोले जाने पर विचार।

परिषद् को अवगत कराया गया कि दिनांक 01.03.2024, 02.03.2024, 03.03.2024 एवं 04.03.2024 को स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित शिक्षा संस्थान + आई.टी.ई.पी. विभाग में रिक्त आचार्य (UR-01), सह– आचार्य (UR-01, OBC-02) एवं सहायक आचार्य के पद (UR-08, OBC-07, SC-04, EWS-02) पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत चयन हेतु आहूत चयन समिति के समक्ष हुये साक्षात्कार के उपरान्त समिति द्वारा दी गई संस्तुति के बन्द लिफाफे खोला जाना अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से उक्त का अनुमोदन किया गया।

05. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।

(1) स्ववित्त पोषित योजना के संचालन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 04.02.2000 के प्रावधान अनुसार 'इन पाठ्यक्रमों में 75 प्रतिशत कोर फैकल्टी तथा 25 प्रतिशत गैस्ट फैकल्टी होगी, प्रदेश के तथा प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय के ख्याति प्राप्त शिक्षकों / रिर्सोस की परसन्स को आमंत्रित किया जा सकता है। गेस्ट लैक्चरार/ रिर्सोस परसन्स को आमंत्रित किया जा सकता है' अतिथि प्रवक्ता से शिक्षण कार्य लिये जाने का प्रावधान है। जिसके अनुसार विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ताओं को शिक्षण कार्य में सहयोग हेतु सत्रांत तक के लिये रखा जाता है। कालान्तर में अतिथि प्रवक्ताओं को शिक्षण सहायक कहा जाने लगा जो कि वस्तुतः शिक्षण सहायक ही अतिथि प्रवक्ता ही है क्योंकि पूर्व से ही शिक्षण सहायकों के प्रतिमाह दिये जाने वाले मानदेय बीजक में अतिथि प्रवक्ता ही लिखा रहता है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण समिति में माननीय सभापति महोदय द्वारा शिक्षण सहायक एवं अतिथि प्रवक्ता की भिन्नता के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी थी एवं इस प्रकार का प्रकरण माननीय समिति के समक्ष विचाराधीन प्रस्तुत किया गया था। अतः शासनादेश दिनांक 04.02.2000 के प्रावधान के अनुसार शिक्षण सहायक जो कि अतिथि प्रवक्ता ही हैं, को अतिथि प्रवक्ता / शिक्षण सहायक लिखे एवं समझे जाने पर विचार।

11.3.24

11.03.24

Scanned with OKEN Scanner

परिषद् द्वारा शासनादेश 04.02.2000 में दिये गये प्रावधान के अनुसार शिक्षण सहायक को शिक्षण सहायक अथवा अतिथि प्रवक्ता नाम किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(2) **श्री उमेश कुमार करौलिया, नैत्यिक सहायक, पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2024 पर विचार।**

परिषद द्वारा श्री उमेश कुमार करौलिया, नैत्यिक सहायक, पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2024 को अवलोकन किया गया। श्री करौलिया को दिनांक 18.03.2017 को हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में निलम्बित किया गया था। गठित अनुशासन समिति की आख्या के आधार पर श्री करौलिया को कार्य परिषद की बैठक दिनांक 17.03.2020 में लिये गये निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ बहाल किया गया।

1. श्री करौलिया को भविष्य में अच्छे आचरण/व्यवहार का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. श्री करौलिया को निलम्बन अवधि का शेष बकाया भुगतान देय नहीं होगा।
3. श्री करौलिया को बहाल होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि आगामी तीन वर्ष के उपरान्त देय होगी, बशर्ते उनका आचरण इस अवधि में संतोषजनक रहा हो।
4. श्री करौलिया को तीन वर्ष तक किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जायेगा।

अनुशासन समिति द्वारा श्री करौलिया की दो वेतनवृद्धि दो वर्ष हेतु अवरूद्ध की गई थीं, किन्तु कार्य परिषद की बैठक दिनांक 17.03.2020 द्वारा तीन वेतनवृद्धि तीन वर्ष हेतु अवरूद्ध की गई एवं आगामी वेतनवृद्धि तीन वर्ष बाद दिये जाने का उल्लेख किया गया। अनुशासन समिति दिनांक 04.08.2018 का कियात्मक अंश निम्नानुसार है –

"the disciplinary committee recommends censor of two increaments with the condition that the same may be made available to Sri Umesh Karauliya after a period of 2 years if his conduct and decorum is found to be satisfactory by the University authorities and officers and thereby his suspension order dated 19.3.2017 is also to be revoked."

उक्त के अनुसार अनुशासन समिति द्वारा श्री करौलिया की दो वेतनवृद्धियॉ दो वर्ष हेतु रोके जाने की संस्तुति को कार्य परिषद् द्वारा तीन वेतनवृद्धियॉ करते हुये बहाल करने का निर्णय लिया गया। तीन वर्ष की अवधि दिनांक 28.04.2023 को पूर्ण हो चुकी है। उल्लेखनीय है श्री करौलिया को जुलाई–2020, जुलाई–2021 एवं जुलाई, 2022 को दी जाने वाली वेतनवृद्धियां प्रदान नहीं की गईं हैं।

अतएव परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुशासन समिति की संस्तुति "the same may be made available to Sri Umesh Karauliya after a period of 2 years" के अनुसार कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 17.03.2020 में लिये गये निर्णय के कम में रोकी गई तीन वेतनवृद्धियॉ अवमुक्त कर दी जाय।

11-3-24

11.03.24

(66)

(3) उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0– यू0ओ0 –45/सत्तर–1/2022, दिनांक 11/07/2022 एवं कार्यालय–ज्ञाप संख्या 2269/सत्तर –1–2022–16(50)/2021/टी0सी0, दिनांक 11/07/2022 द्वारा स्नातक स्तर की परीक्षा शुल्क दरों को विश्वविद्यालय की वित्त समिति एवं कार्य समिति के अनुमोदनोपरान्त परीक्षा शुल्क के साथ–साथ अन्य शुल्क (परीक्षा शुल्क, अंक तालिका शुल्क, नामांकन शुल्क, सर्टिफिकेट डिप्लोमा उपाधि शुल्क, क्रीडा शुल्क, विकास शुल्क, प्रायोगिकी आदि) को वसूल किए जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 06.03.2024 की कार्यवाही पर विचार–

परिषद् के समक्ष समिति की कार्यवाही निम्नवत प्रस्तुत की गई –

उपस्थिति :–

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
2. वित्त अधिकारी।
3. कुलसचिव।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. उप कुलसचिव (वित्त)।
6. उप कुलसचिव (एकैडमिक)।
7. डॉ0 दीपक तोमर।

बिन्दु–1 **उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0–यू0ओ0–45/सत्तर–1/2022, दिनांक 11/07/2022 एवं कार्यालय–ज्ञाप संख्या 2269/ सत्तर –1 –2022 –16(50)/2021/टी0सी0, दिनांक 11/07/2022 द्वारा स्नातक स्तर की परीक्षा शुल्क दरों को विश्वविद्यालय की वित्त समिति एवं कार्य समिति के अनुमोदनोपरान्त परीक्षा शुल्क के साथ–साथ अन्य शुल्क (परीक्षा शुल्क, अंक तालिका शुल्क, नामांकन शुल्क, सर्टिफिकेट डिप्लोमा उपाधि शुल्क, क्रीडा शुल्क, विकास शुल्क, प्रायोगिकी आदि) को वसूल किए जाने पर विचार–**

निर्णय– उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0–यू0ओ0–45/ सत्तर–1/2022, दिनांक 11/07/2022 एवं कार्यालय–ज्ञाप संख्या 2269/सत्तर–1– 2022 –16(50)/2021/ टी0सी0, दिनांक 11/07/2022 द्वारा स्नातक स्तर हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वित्त समिति एवं कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित छात्रों से वसूल की गई है किन्तु उक्त परीक्षा शुल्क के साथ अभ्यर्थियों द्वारा देय अन्य शुल्क यथा– अंक तालिका शुल्क, नामांकन शुल्क, सर्टिफिकेट डिप्लोमा उपाधि शुल्क, क्रीडा शुल्क, विकास शुल्क, प्रायोगिकी शुल्क आदि त्रुटिवश सत्र 2022–23 के विषम सेमेस्टर से वसूल नहीं का जा सकी है। जिसके कारण विश्वविद्यालय कोष पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा विकास के कार्य प्राभावित होने की आशंका है।

11.3.24

11.03.24

107

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोंपरान्त छात्रों से उक्त शासनादेशानुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्कें निम्नांकित प्रकार से वसूली जा सकती हैं–

1. संस्थागत छात्रों से एक मुश्त आर्थिक बोझ न भारित हो इसके दृष्टिगत् उनसे प्रत्येक सेमेस्टर में विकास शुल्क रु0 700/– के स्थान पर रु0 350/– वसूला जा सकता है।
2. संस्थागत छात्रों से क्रीडा शुल्क (रु0 50/–), नामांकन शुल्क (रु0 50/–) प्रथम सेमेस्टर में वसूला जा सकता है।
3. संस्थागत छात्रों से प्रत्येक सेमेस्टर में प्रायोगिकी/मौखिकी हेतु निर्धारित शुल्क रु0 75/– वसूला जा सकता है।
4. संस्थागत छात्रों से सम सेमेस्टरों में अंकतालिका शुल्क के रूप में क्रमशः रु0 40/– वसूला जा सकता है।
5. संस्थागत छात्रों से विषम सेमेस्टरों में अंकतालिका शुल्क के रूप में क्रमशः रु0 50/– वसूला जा सकता है
6. संस्थागत छात्रों से अन्तिम सेमेस्टर में उपाधि शुल्क के रूप में क्रमशः रु0 150/– वसूला जा सकता है।
7. बी0ए0एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, बी0एस–सी0 (कृषि), बी0लिब0, बी0एस–सी0 (बायो0टैक0), बी0पी0एड0 पाठ्यक्रमों में परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क उक्त संस्थागत् छात्रों के समान वसूला जा सकता है।

उक्त तथ्यों को एकीकृत करते हुए स्नातक स्तर के संस्थागत छात्रों से वसूल किए जाने वाले शुल्कों का एकीकृत विवरण वर्णित है। साथ ही व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों से पूर्ववत् शुल्क वसूला जा सकता है।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से समिति की उपर्युक्त संस्तुतियों को अनुमोदित किया गया।

(4) प्रो. प्रेम प्रकाश सोलंकी – माननीया कुलाधिपति नामिति कार्य परिषद् के सदस्य द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कतिपय शिकायतें की जाती रहती है तथा सीधे परिषद् के सदस्यों को भी प्रेषित की जाती है। इस सम्बन्ध में उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी शिकायतों का यथाशीघ्र सम्यक निस्तारण समयान्तर्गत कर दिया जाये ताकि ऐसे तत्व हतोत्साहित हों एवं विश्वविद्यालय की छवि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से प्रो. सोलंकी के उक्त सुझाव को स्वागत करते हुये सहमति व्यक्त की।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

(विनय कुमार सिंह)
कुलसचिव/सचिव
11.3.24

11.03.24
(प्रो. मुकेश पाण्डेय)
कुलपति/ अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner